राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1078/2023

रमेश वशिष्ठ (कर्मचारी आई.डी.– आरजेजेपी199618019583)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.03.2023
आदेश की दिनांक : 05.05.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता के पद पर महात्मा गांधी माध्यमिक विद्यालय, प्रागपुरा, जिला जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने दिनांक 28.10.2014 को व्याख्याता हिन्दी के पद पर कार्यग्रहण किया था। बाद में आदेश दिनांक 30.05.2015 के द्वारा अपीलार्थी का चयन अंग्रेजी विषय में व्याख्याता के पद पर किया गया। जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 10.06.2015 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भाकरी जयपुर में व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी ने ग्रीष्मावकाश होते हुए अगले दिन रा.उ.मा.वि. भाकरी में कार्यग्रहण कर लिया था। वर्तमान में अपीलार्थी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रागपुरा, जयपुर में व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर कार्यरत है। निदेशक द्वारा पूर्व में जारी प्रधानाचार्य डीपीसी की अस्थाई वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या–3607 पर अपीलार्थी का नाम था। लेकिन दिनांक 22.12.2021 को जारी की गई प्रधानाचार्य की अस्थाई वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम

हटा दिया गया। इस पर अपीलार्थी ने जरिये ई–मेल आपत्ति दर्ज कराई थी। बाद में पुनः प्रधानाचार्य की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं किया, जिस पर पुनः ई–मेल पर आपत्ति भेजी थी। हाल ही में दिनांक 12.01.2023 को जारी उप प्रधानाचार्य की वरिष्ठता सूची में भी अपीलार्थी का नाम नहीं है। जिस पर रजिस्ट्रर्ड पत्र द्वारा प्रार्थना पत्र निदेशक महोदय को भेजा गया, परंतु अपीलार्थी की आपत्ति का कोई समाधान नहीं हुआ है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)